फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

चम्पालाल पुत्र तुलछाराम **बनाम** बस्तीराम पुत्र लालाराम वगैराह

किस्म मुकदमा 212 राज. का. अधि. 1955 मुकदमा नम्बर 505/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
03.12.2021	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थिगणों की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के बिना बंटवाडा करवाये भूमि का बेचान करने, मौका स्थिति में परिवर्तन करने एवं निर्माण करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 04.01.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम तोलेसर पुरोहितान, पटवार हल्का भाटेलाई पुरोहितान, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 212, 158, 229, 230, 235 भूमि पर उभयपक्ष एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नही करे तथा न ही विशिष्ठ भू–भाग दर्शाकर बैचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 03 की पालना करते हुए अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें। पत्रावली दिनांक 04.01.2022 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बालेसर	
4/1/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रा. रजि. A.D. की रसीद पेश शामिल मिसल हो। स्थगन आदेश आगामी पेशी तक बढाया जाता है। पत्रावली दिनांक 7/2/22 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.07.22 11:48:41 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
16/4/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/चुनाव [illegible] राजकीय दौरे पर है। पत्रावली इत्यादि [illegible] दिनांक 14/5/24 को पेश हो।	
14/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अनुप. पत्रावली दिनांक 10/6/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुप. न्यायालय परिसर के तीन आवाज लगाई गई। उप. नहीं। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नतीजा के बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.07.22 11:48:41 IST
Reason: SelfAttested